श्री अनिल ढींगरा, अध्यक्ष गीडा/मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा गीडा प्राधिकारी बोर्ड की दिनांक 22.01.2026 को आयोजित 64वीं बैठक का संचालन किया गया। बैठक में प्राधिकारी के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रियों/प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी, गोरखपुर।
2. श्रीमती अनुज मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर। सदस्य–सचिव
3. श्री आनन्द वर्द्धन, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. श्री जय मंगल राव, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर
5. श्री आशुतोष श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश, राज्य विद्युत परिषद
6. श्री ए0के0 वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर
7. श्री हितेश कुमार, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (वी0सी0 के माध्यम से)
8. श्री रोशन अम्बेडकर, सहायक आयुक्त (उद्योग), प्रतिनिधि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
9. श्री संजय तिवारी, प्रबन्धक (सिविल), प्रतिनिधि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर।

प्राधिकारी बोर्ड की 64वीं बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है :–

प्रस्ताव	निर्णय
प्रस्ताव संख्या 64:01 प्राधिकारी की गत 63वीं बैठक दिनांक 07.05.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	गीडा प्राधिकारी की दिनांक 07.05.2025 को सम्पन्न 63वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
प्रस्ताव संख्या 64:02 गीडा प्राधिकारी बोर्ड की 63वीं बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्राधिकारी द्वारा अनुपालन आख्या को संज्ञान में लेते हुए अनुमोदित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या 64:03</u> गीडा द्वारा किये जा रहे कार्य—कलापों का विवरण।	प्राधिकारी द्वारा गीडा के विभिन्न अनुभागों द्वारा प्रस्तुत कार्य कलापों का अवलोकन किया गया। 1.सिविल अनुभाग द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति धीमी पाये जाने के दृष्टिगत सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गयी निरीक्षण आख्या संलग्न है **(संलग्नक—क)**। 2.औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूखण्डों की वसूली की समीक्षा के क्रम में की गयी पृच्छा पर प्राधिकारी को अवगत कराया गया कि गीडा औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में स्थित औद्योगिक भूखण्डों के सापेक्ष दिनांक 01.07.2025 को रू0 95.00 करोड़ धनराशि बकाया थी, जिसके सापेक्ष दिनांक 31.12.2025 तक रू0 68.00 करोड़ की वसूली की गयी। वसूली का विवरण संलग्न है **(संलग्नक—ख)**। 3.उद्यमी मित्रों द्वारा गीडा में प्रस्तावित निवेशकों के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अवगत कराया गया। प्रस्तावित निवेशकों का विवरण संलग्न है **(संलग्नक—ग)**। प्राधिकारी द्वारा कार्यों को त्वरित गति से सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये।
<u>प्रस्ताव संख्या 64:04</u> उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति—2024 एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को गीडा प्राधिकरण में यथावत् अंगीकत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकारी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 64:05</u> गीडा द्वारा संचालित की जा रही संस्थागत योजना में भूखण्डों के ब्रोशर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	संस्थागत योजना के ब्रोशर का प्राधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया एवं की गयी पृच्छा के क्रम में प्राधिकारी को अवगत कराया गया कि विशेष कार्याधिकारी, गीडा की अध्यक्षता में संस्थागत भूखण्डों के आवंटन हेतु नीति एवं नियम निर्धारण करने हेतु समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा संस्थागत भूखण्ड के ब्रोशर का परीक्षण करते हुए नियमानुसार पाया गया एवं अपनी संस्तुति प्रदान की गयी। समिति की संस्तुति पर प्राधिकारी द्वारा ब्रोशर यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 64:06 गीडा सेक्टर–11 आवासीय योजना में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी भवनो के ब्रोशर के अनुमोदन सम्बन्ध में।	ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी भवनो के ब्रोशर का प्राधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया एवं की गयी पृच्छा के क्रम में प्राधिकारी को अवगत कराया गया कि विशेष कार्याधिकारी, गीडा की अध्यक्षता में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी भवनो के आवंटन हेतु नीति एवं नियम निर्धारण करने हेतु समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा कालेसर सेक्टर–11 आवासीय भूखण्डों के ब्रोशर की भाँति ही ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी भवनों के ब्रोशर को तैयार किया गया है। प्राधिकारी को यह भी अवगत कराया गया कि समाज के दिव्यांगजन एवं गीडा अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण/क्रय से प्रभावितों हेतु ही होरिजेन्टल आरक्षण का प्राविधान किया गया है एवं आवंटन के पात्रता के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी भवनों के आवंटन में HUDCO के सर्कुलर दिनांक 14.12.2012 के अनुसार एवं श्रमिकों के लिए भवन का आवंटन किया जायेगा। प्राधिकारी द्वारा समिति की संस्तुति पर ब्रोशर यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 64:07 गीडा के सेक्टर–26 (औद्योगिक–भीटी रावत विस्तारीकरण), सेक्टर–27 (औद्योगिक–भगवानपुर विस्तारीकरण), सेक्टर–09 (संस्थागत विस्तारीकण) एवं एस–05, धुरियापार (औद्योगिक) की कॉस्टिंग कमेटी द्वारा संस्तुत की गयी दरों का प्राधिकारी बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।	प्राधिकारी द्वारा यथा प्रस्तावित कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
प्रस्ताव संख्या 64:08 वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु गीडा क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के समस्त भूखण्डो हेतु कास्टिंग कमेटी द्वारा संस्तुत दरो के अनुमोदन पर विचार।	विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों हेतु कॉस्टिंग कमेटी द्वारा संस्तुत की गयी दरों का अवलोकन करने पर प्राधिकारी द्वारा सेक्टरों के भूखण्डों की दरों में वृद्धि किये जाने पर की गयी पृच्छा के क्रम में प्राधिकारी को अवगत कराया गया कि बाजार प्रवृत्तियों, विकास लागत, अवसंरचनात्मक व्यय, निवेशकों की रूची तथा भूमि की मांग के दृष्टिगत उन सेक्टरों का दर बढ़ाये जाने का प्राविधान किया गया है। विस्तृत विवरण संलग्न है **(संलग्नक–घ)**। प्राधिकारी द्वारा कॉस्टिंग कमेटी द्वारा संस्तुत दरों को यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 64:09 औद्योगिक क्षेत्र धुरियापार गोला के अन्तर्गत सेक्टर–04, 05 एवं 06A के मध्य से गुजर रही 132 के0वी0 ट्रान्समिशन लाईन के टॉवरो के शिफ्टिंग के सम्बन्ध में अवलोकनार्थ।	प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 64:10 भू–स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि कय करने हेतु जारी शासनादेशो में दी गयी व्यवस्था के क्रम में दर निर्धारण समिति संस्तुत दरों पर प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दरो पर तहसील–गोला के अन्तर्गत अधिसूचित ग्राम–धौरहरा एवं तहसील–सदर के ग्राम–तालनवर में अन्यत्र अवस्थित/सम्पर्क मार्ग पर अवस्थित भूमि के दर निर्धारण समिति द्वारा संस्तुत दरों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	प्राधिकारी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 64:11 गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम–बरउर, ग्राम–सियर एवं ग्राम–सहजूपार एवं ग्राम–चकभोप (आंशिक भाग) के मास्टर प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	प्राधिकारी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को अधिकृत किया गया। (संलग्नक –ई)
प्रस्ताव संख्या 64:12 गीडा सेक्टर–27 के ले–आउट प्लान में आंशिक संशोधन के ले–आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	प्राधिकारी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को अधिकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या 64:13 भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लि0 द्वारा गीडा के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम खानीपुर तहसील–सहजनवा, जिला–गोरखपुर में City Gate Station की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विचार।	प्राधिकारी द्वारा वी0सी0 के माध्यम से सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गोरखपुर से विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के उपरान्त प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया।
प्रस्ताव संख्या 64:14 अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	1. चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर के पत्र संख्या-02/Cham/25-26/47 दिनांक 20.01.2026 के पत्र पर प्राधिकारी द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। 2. प्राधिकारी द्वारा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के कार्य–कलापों की समीक्षा के दौरान तहसील–सदर के अन्तर्गत ग्राम–एकला, राउतपार उर्फ सरैया, झुँगिया एवं मल्हीपुर में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से ग्राम–मल्हीपुर को भूमि अधिग्रहण से मुक्त

	करने हेतु डी–नोटिफिकेशन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा प्राधिकारी के समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(अनुज मलिक),
सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गीडा, गोरखपुर

(अनिल ढींगरा),
अध्यक्ष, गीडा / मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर